रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 1989/ज्यैष्ठ 29, 1911
No. 359] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 1989/JYAISTHA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1989

का.आ. 467(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 22क की उपधारा (1) के खण्ड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के पैरा 2 और 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 21 और 22 के उपबन्ध प्रस्तावों के निम्नलिखित प्रवर्गों को लागू नहीं होंगे, अर्थात :—

1. (i) कोई ऐसा प्रस्ताव जो किसी ऐसे नए उपक्रम के पर्याप्त प्रसारण या स्थापन से संबंधित है जिसमें भारत में पूर्णतः विकसित किसी प्रौद्योगिकी की वाणिज्यिक उपयोग अन्तर्वलित है किन्तु उसको छोड़कर जिसमें कोई ऐसी वस्तु अन्तर्वलित हो जो—

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ब की उपधारा (2क) के अधीन अधिसूचना द्वारा लघु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अनन्य उत्पादन के लिए आरक्षित है या आरक्षित की जा सकती है;

अथवा

(ख) अधिनियम की अनुसूची के भाग I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंध है।

(ii) कोई ऐसा प्रस्ताव जो उपक्रमों के प्रतिस्थापन और विकास एकक में पूर्णतः विकसित किसी प्रौद्योगिकी के अन्तरण से संबंधित हो।

2. (i) उपक्रम का स्वामी, प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1975 के नियम 6ख के अधीन गठित) देशी प्रौद्योगिकी बोर्ड से भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि प्रस्ताव पूर्णतः भारत में विकसित किसी प्रौद्योगिकी पर आधारित है ।

(ii) उपक्रम का स्वामी , प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी, भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग का ज्ञापन भेजेगा जिसमें प्रस्ताव के ब्यौरे हों तथा इसके साथ ही उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन आवेदन की, जहां कहीं किया जाना अपेक्षित हो, प्रति भी भेजेगा।

(iii) उपक्रम का स्वामी, प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी उसी मद के लिए विदेश से किसी प्रौद्योगिकी का आयात नहीं करेगा।

3. पैरा 1 के खण्ड (i) के अंतर्गत आने वाले किसी प्रस्ताव के बारे में, निम्नलिखित शर्त भी लागू होगी, अर्थात :—

यह कि औद्योगिक उपक्रम किसी ऐसे नगर या कस्बे के 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित नहीं है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, किसी ऐसे नगर या कस्बे के 30 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित नहीं है जिसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख से कम है, किसी ऐसे नगर या कस्बे के 15 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित नहीं है, जिसकी जनसंख्या 7.5 लाख से अधिक किन्तु 15 लाख से कम है और वह किसी ऐसे नगर या कस्बे का नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित नहीं है, जिसकी जनसंख्या 7.5 लाख से कम है ।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी

[फा०सं० 5/62/88 एम.आई.]
एल.सी. गोयल, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June 1989

S.O. 467(E).—In exercise of the report conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 22A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) (hereinafter referred to as the Act'), the Central Government hereby directs that subject to the conditions specified in paragraphs 2 and 3 of this notification, the provisions of sections 21 and 22 of the Act shall not apply to the following categories of proposals, namely :—

1. (i) Any proposal that relates to the substantial expansion or establishment of a new undertaking involving commercial utilisation of a technology totally developed in India but excluding the one involving any article,—

(a) that is or may be reserved for exclusive production by small-scale industrial undertaking by a notification under sub-section (2A) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951); or

(b) that relates to any industry specified in Part I of the Schedule to the Act.

(ii) Any proposal that relates to the transfer of a technology totally developed in the undertakings' Research and Development unit.

2. (i) The owner of the undertakig, person or the authrity making the proposal, shall submit a certificate from the Board of Indigeneous Technology (constituted under Rule 6B of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970) to the Government of India in the Department of Company Affairs, to the effect that the proposal is based totally on a technology developed in India.

(ii) The owner of the undertaking, person or authority making the proposal shall submit to the Government of India in the Department of Company Affairs, a memorandum containing details of the proposal, alongwith a copy of their application, wherever required to be made, under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

(iii) The owner of the undertaking, person or authority making the proposal shall not import any technology from abroad for the same item.

3. In regard to any proposal falling under clause (i) of paragraph 1, the following condition shall also apply,—

That the industrial undertaking is not located within a distance of 50 kilometres a city or town having a population exceeding 25 lakhs, 30 kilometres of a city or town having a population exceeding 15 lakhs but less than 25 lakhs, 15 kilometres of a city of town having a population exceeding 7.5 lakhs but less than 15 lakhs and outside municipal limits of a city o rtown having a population of less than 7.5 lakhs.

4. This notification shall have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 5/62/88-M.L.]
L. C. GOYAL, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989